क्रम-संख्या–238

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024

पौष 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 498/79-वि-1–2024-1-क-28-2024

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2024)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंध ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे, जैसा राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017 की धारा 2 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 में खण्ड (61) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात्:–

"(61) "इनपुट सेवा वितरक" का तात्पर्य माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता के कार्यालय से है, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से, धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजकों सहित इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर बीजक प्राप्त करता है और धारा 20 में उपबंधित रीति से ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;"

धारा 20 का प्रतिस्थापन

3–मूल अधिनियम की धारा 20 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति

"20–(1) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकर्ता का कोई कार्यालय जो इनपुट सेवाओं, जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं, की प्राप्ति के लिए धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के लिए या उनकी ओर से कर बीजक प्राप्त करता है, का धारा 24 के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना आवश्यक होगा और ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करेगा।

(2) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर लगाए गए, राज्य कर या एकीकृत कर के प्रत्यय जिसमें धारा 9 की उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन कर के लिये उद्ग्रहीत सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर का प्रत्यय सम्मिलित है, जिसका संदत्त उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा किया गया हो, को ऐसी रीति से, ऐसे समय के भीतर और ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा विहित किया जा सकता है, वितरित करेगा।

(3) राज्य कर का प्रत्यय, राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में तथा एकीकृत कर, एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में ऐसा दस्तावेज जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की धनराशि अंतर्विष्ट हो, को जारी किए जाने के लिए इस रीति से वितरित किया जायेगा, जैसा कि विहित हो।"

नई धारा 122 क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 122 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

विशेष प्रक्रियां के अधीन माल के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली कुछ मशीनों को पंजीकृत न कराने पर शास्ति

"122क–(1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है जिसके संबंध में मशीनों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित कोई विशेष प्रक्रिया धारा 148 के अधीन अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया का उल्लंघन करता है, वहां वह अध्याय पन्द्रह या इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदत्त या संदेय किसी शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न की गई प्रत्येक मशीन के लिए एक लाख रुपए धनराशि के बराबर शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न की गई प्रत्येक मशीन अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी:

परंतु यह कि ऐसी मशीन तब अधिहरण नहीं की जाएगी, जहां–

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति संदत्त कर दी गयी है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण शास्ति के आदेश की संसूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर विशेष प्रक्रिया के अनुसार कर दिया गया है।"

निरसन और व्यावृत्ति

5–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह-प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

2–माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद की सिफारिश पर, वित्त अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 8 सन् 2024) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कतिपय संशोधन किए गए।

3–उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरन्त विधायी कार्रवाई आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024, (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 19 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

क्रम-संख्या–237

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 26 दिसम्बर, 2024

पौष 5, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 492/79-वि-1–2024-1-क-31-2024

लखनऊ, 26 दिसम्बर, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे राज्य कर अनुभाग–2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 2024)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1–(क) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा ।

(ख) इस अधिनियम के उपबंध, ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसा कि राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परंतु यह कि इस अधिनियम के भिन्न–भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं।

धारा 9 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 9 में, उपधारा (1) में, शब्द "मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान" के पश्चात, शब्द "और मानवीय उपभोग के लिए मद्यसारिकपान के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली गैर–विकृत अतिरिक्त तटस्थ मद्यसार या परिशोधित स्पिरिट" बढ़ा दिए जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (5) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात, शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिए जाएंगे।

नयी धारा 11क का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थातः–

साधारण चलन के परिणामस्वरुप न लगाए गए या कम लगाए गए माल और सेवा कर की वसूली न करने की शक्ति

"11क–इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार का यह समाधान हो जाता है कि,–

(क) माल और सेवाओं या दोनों की किसी भी पूर्ति पर राज्य कर उद्ग्रहण के संबंध में (जिसमें उसका उद्ग्रहण न किया जाना सम्मिलित है), एक चलन साधारणतया प्रचलित थी या है; और

(ख) ऐसी पूर्तियाँ दायी थीं, या हैं, –

(i) राज्यकर, ऐसे मामलों में जहां उक्त चलन के अनुसार राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था, या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, या

(ii) उससे कहीं अधिक राज्य कर की धनराशि, जो उक्त चलन के अनुसार उद्ग्रहीत की गयी थी या की जा रही है,

सरकार परिषद की सिफारिश पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकती है कि, ऐसी पूर्तियों पर देय संपूर्ण राज्य कर या ऐसी पूर्तियों पर देय अतिरिक्त राज्य कर, जैसा भी मामला हो, लेकिन उक्त चलन हेतु ही, उन पूर्तियों के संबंध में भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी जिन पर उक्त चलन के अनुसार राज्य कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था या उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा है, या कम उद्ग्रहीत किया गया था या उद्ग्रहीत किया जा रहा है।"

धारा 13 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (3) में,–

(i) खंड (ख) में, शब्द "पूर्तिकर्ता द्वारा" के स्थान पर, शब्द "पूर्तिकर्ता द्वारा, ऐसे मामलों में जहां पूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है या" रख दिया जायेगा।

(ii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः–

"(ग) ऐसे मामलों में जहां प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करना आवश्यक है, प्राप्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तारीखः";

(iii) प्रथम परन्तुक में, शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (ख)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अक्षर "या खंड (ग)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 16 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 16 में, 1 जुलाई 2017 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराऐं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थातः–

(5) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 से संबंधित, माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति के बीजक या नामे नोट (डेबिट् नोट) के संबंध में, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 39 के अधीन नवंबर, 2021 के तीसवें दिन तक दाखिल किसी भी विवरणी में इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा ।

(6) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण धारा 29 के अधीन रद्द हो गया है और उसके बाद रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण किसी भी आदेश, या तो धारा 30 के अधीन या अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के किसी भी आदेश के अनुसार किया गया है और जहाँ किसी बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, इनपुट कर प्रत्यय की प्राप्ति रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख को उपधारा (4) के अधीन प्रतिबंधित नहीं थी, उक्त व्यक्ति माल और सेवाओं या दोनों की पूर्ति के ऐसे बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) के संबंध में, धारा 39 के अधीन विवरणी में, इनपुट कर प्रत्यय लेने का हकदार होगा, जो –

(i) उस वित्तीय वर्ष जिससे ऐसा बीजक या नामे नोट (डेबिट नोट) संबंधित है, के बाद नवंबर के तीसवें दिन तक या सुसंगत वार्षिक विवरणी जो भी पहले हो, दाखिल किया गया है; या

(ii) रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की तारीख या रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की प्रभावी तिथि, जैसा भी मामला हो, से रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए जहां ऐसी विवरणी रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर दाखिल किया जाता है, जो भी पश्चातवर्ती हो।

धारा 17 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (5) में, खंड (झ) में, शब्द और अंक "धारा 74, 129 और 130" के स्थान पर शब्द और अंक" वित्तीय वर्ष 2023–24 तक किसी भी अवधि के संबंध में धारा 74" रख दिये जायेंगे।

धारा 21 का संशोधन

8–मूल अधिनियम की धारा 21 में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 30 का संशोधन

9–मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (2) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

"परंतु यह और कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अध्यधीन होगा, जैसा कि विहित किया जाय।"

धारा 31 का संशोधन

10–मूल अधिनियम की धारा 31 में,–

(क) उपधारा (3) में, खंड (च) में, शब्द "माल या सेवाओं या दोनों के संबंध में", के पश्चात् शब्द ",ऐसी अवधि के भीतर जो विहित की जाय", बढ़ा दिये जायेंगे;

(ख) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:–

स्पष्टीकरण–खंड (च) के प्रयोजनों के लिए, पद "ऐसे प्रदाता से, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं है" के अंतर्गत वह पूर्तिकार सम्मिलित होगा जो केवल धारा 51 के अधीन कर की कटौती के उद्देश्य से रजिस्ट्रीकृत है।

धारा 35 का संशोधन

11–मूल अधिनियम की धारा 35 में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 39 का संशोधन

12–मूल अधिनियम की धारा 39 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात्:–

"(3) धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए उस मास के दौरान की गई कटौतियों की विवरणी इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे प्ररूप में और रीति में, तथा ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए:

परंतु यह कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर मास के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा, चाहे उक्त माह के दौरान कोई कटौती की गई हो या नहीं।"

धारा 49 का संशोधन

13–मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (8) में , खंड (ग) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 50 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 51 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 51 में, उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 54 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 54 में,–

(क) उपधारा (3) में, दूसरे परन्तुक को निकाल दिया जायेगा ;

(ख) उपधारा (14) के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:–

"(15) इस धारा में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शून्य दर पूर्ति के मालों के सम्बन्ध में उपयोग न किये गए इनपुट कर प्रत्यय या शून्य दर पूर्तिवाले मालों पर अदा किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय को उन मामलों में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जहां ऐसे शून्य दर पूर्तिवाले माल निर्यात शुल्क की शर्त के अधीन है।"

धारा 61 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 61 में, उपधारा (3) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 62 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 62 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 63 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 63 में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 64 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 64 में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 65 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 65 में, उपधारा (7) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 66 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 66 में, उपधारा (6) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 70 का संशोधन

23—मूल अधिनियम की धारा 70 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

"(1क) उपधारा (1) के अधीन समन किये गए सभी व्यक्ति, या तो स्वयं या किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जैसा कि अधिकारी निर्देश दे, उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे और इस प्रकार उपस्थित होने वाला व्यक्ति परीक्षण के दौरान सत्य बताएगा या कथन करेगा या ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें प्रस्तुत करेगा, जो अपेक्षित है।"

धारा 73 का संशोधन

24—मूल अधिनियम की धारा 73 में, —

(i) सीमांत शीर्षक में, शब्द "कर का अवधारण" के पूर्व, शब्द और अंक "वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ii)उपधारा 11 के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए लागू होंगे।"

धारा 74 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 74 में, —

(i) सीमांत शीर्षक में, शब्द "कर का अवधारण" के पूर्व, शब्द और अंक, "वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित," बढ़ा दिये जायेंगे;

(ii) उपधारा 11 के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

"(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023—24 तक की अवधि से संबंधित कर अवधारण के लिए लागू होंगे।"

(iii) स्पष्टीकरण 2 को निकाल दिया जायेगा।

नयी धारा 74क का बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 74 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

वित्तीय वर्ष 2024—25 से तथा आगे किसी भी कारण से असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण

"74क—(1) जहां समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, तो वह कर जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, के साथ कर से प्रभार्य व्यक्ति को हेतुक उपदर्शित करने की अपेक्षा करते हुए सूचना तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुरूप शास्ति का संदाय करे :

परंतु यह कि यदि वह कर जिसका संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उसका उपयोग किया गया है, एक वित्तीय वर्ष में एक हजार रुपये से कम है, तो सूचना जारी नहीं की जाएगी ।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या इनपुट कर प्रत्यय गलत लिया गया था या गलत उपयोग किया गया था, से बयालीस मास के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से बयालीस मास के भीतर जारी करेगा ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी कालावधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है, तो समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन आने वाली कालावधियों से भिन्न के लिए संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए या गलत तरीके से लिए गए या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण कर से प्रभार्य व्यक्ति पर तामील कर सकेगा ।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील इस शर्त के अधीन रहते हुए समझा जाएगा कि उपधारा (1) से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए, लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है।

(5) उस मामले में जहाँ किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, शास्ति ,–

(i) ऐसे व्यक्ति से देय कर का दस प्रतिशत या दस हजार रुपये, जो भी अधिक हो, के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न कोई अन्य कारण है;

(ii) ऐसे व्यक्ति से देय कर के समतुल्य होगा जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण है;

(6) समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से देय कर, ब्याज और शास्ति की रकम अवधारित करेगा और एक आदेश जारी करेगा ।

(7) समुचित अधिकारी उपधारा (6) के अधीन आदेश उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से बारह मास के भीतर जारी करेगा:

परंतु यह कि जहां समुचित अधिकारी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी करने में सक्षम नहीं है, वहां आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी जो समुचित अधिकारी से ज्येष्ठ परंतु संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के पद से नीचे का न हो, उपधारा (6) के अधीन आदेश जारी करने में विलंब के कारणों को ध्यान में रखते हुए, जिसे विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा, उक्त अवधि को अधिकतम छह माह के लिए आगे बढ़ा सकेगा।

(8) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से भिन्न किसी अन्य कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है,कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चय कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना या उपधारा (3) के अधीन कोई विवरण, तामील नहीं करेगा;

(ii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का हेतुक उपदर्शित करने की सूचना जारी करने के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

(9) जहाँ कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर कोई मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने जैसे कारण से किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है, या जहां इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या उपयोग किया गया है, कर से प्रभार्य व्यक्ति,–

(i) उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील से पूर्व, ऐसे कर की रकम को अपने स्वयं के अभिनिश्चय के आधार पर या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चिय कर के आधार पर धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज और ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत के समतुल्य शास्ति के साथ संदाय कर सकेगा और ऐसे संदाय की लिखित सूचना समुचित अधिकारी को दे सकेगा और समुचित अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, इस प्रकार संदत्त कर के संबंध में या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप देय किसी शास्ति के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना तामील नहीं करेगा;

(ii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत के बराबर शास्ति का सूचना जारी करने के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ;

(iii) धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का और ऐसे कर के पचास प्रतिशत के बराबर शास्ति के साथ आदेश की संसूचना के साठ दिन के भीतर संदाय कर देता है तो ऐसी सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा ।

(10) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (8) के खंड (i) या उपधारा (9) के खंड (i) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम होती है, के लिए उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा ।

(11) उपधारा (8) के खंड (i) या खंड (ii) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वतः निर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

(12) इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2024–25 से तथा आगे कर के अवधारण के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(i) पद "उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियां" में धारा 132 के अधीन कार्यवाहियां सम्मिलित नहीं होंगी;

(ii) जहां उन्हीं कार्यवाहियों के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी मुख्य व्यक्ति और कुछ अन्य व्यक्तियों को सूचना जारी की जाती है, और ऐसी कार्यवाहियों को इस धारा के अधीन मुख्य व्यक्ति के विरुद्ध पूरा कर लिया गया है, तो धारा 122 और धारा 125 के अधीन शास्ति का संदाय करने के लिए दायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,पद "छिपाना" से तात्पर्य ऐसे तथ्यों या जानकारी को घोषित नहीं करना जिसे कराधेय व्यक्ति से इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विवरणी, विवरण, रिपोर्ट या किसी अन्य दस्तावेज में घोषित करने की अपेक्षा है, या लिखित में मांगे जाने पर किसी सूचना को समुचित अधिकारी को प्रस्तुत करने में असफलता होगा।

धारा 75 का संशोधन

27–मूल अधिनियम की धारा 75 में, –

(क) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "या धारा 74क की उपधारा (2) और (7)" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:–

"(2क) जहां कोई अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (ii) के अधीन शास्ति इस कारण से भरणीय नहीं है कि कर अपवंचन के लिए कपट या जानबूझकर मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाना उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं होता है जिसको सूचना जारी की गई थी, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा धारा 74क की उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन शास्ति देय होगा।

(ग) उपधारा (10) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात:–

"(10) न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों को पूरा हुआ समझा जाएगा यदि धारा 73 की उपधारा (10) या धारा 74 की उपधारा (10) या धारा 74 क की उपधारा (7) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आदेश जारी नहीं किया जाता है।";

(घ) उपधारा (11) में, शब्द और अंक "धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "या धारा 74क की उपधारा (7)" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (12) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिया जायेगा ।

(च) उपधारा (13) में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 104 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में, स्पष्टीकरण में, शब्द और अंक "धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक, "या धारा 74क की उपधारा (2) और (7)" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 107 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 107 में, —

(क) उपधारा (6) में, खंड (ख) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "बीस" रख दिया जाएगा;

(ख) उपधारा (11) में, दूसरे परन्तुक में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 112 का संशोधन

30—मूल अधिनियम की धारा 112 में, —

(क) 1 अगस्त, 2024 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (1) में, शब्द "उस आदेश जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, अपील करने वाले व्यक्ति को संसूचना की तारीख से", के पश्चात् शब्द ";या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ख) 1 अगस्त, 2024 की प्रभावी तारीख से, उपधारा (3) में, शब्द "उस तारीख को जिसको अपने आदेश में आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उक्त आदेश से उत्पन्न ऐसे बिन्दुओं के अवधारण के लिए उक्त आदेश पारित किया गया है", के पश्चात् शब्द, ";या इस अधिनियम के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए, सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित तारीख से, जो भी पश्चातवर्ती हो" बढ़ा दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (6) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में एक अपील स्वीकार कर सकेगा", के पश्चात शब्द, कोष्ठक और अंक "या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान के पश्चात् तीन मास में आवेदन फाइल करने के लिए अनुमति दे सकेगा" बढ़ा दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (8) में, खंड (ख) में,—

(क) अंक और चिन्ह "20%"के स्थान पर अंक और चिन्ह "10%" रख दिया जाएगा;

(ख) अंक और शब्द "50 करोड़ रूपए" के स्थान पर अंक और शब्द "20 करोड़ रूपए" रख दिया जाएगा।

धारा 122 का संशोधन

31—मूल अधिनियम की धारा 122 में, 1 अक्टूबर, 2023 की तारीख से प्रभावी, उपधारा (1ख) में, शब्द "कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो" के स्थान पर शब्द और अंक "कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक, जो धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर के एकत्रीकरण के लिए दायी है," रख दिया जाएगा।

धारा 127 का संशोधन

32—मूल अधिनियम की धारा 127 में, शब्द और अंक "धारा 73 या धारा 74" के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर "या धारा 74क" बढा दिये जायेंगे।

नई धारा 128क का बढ़ाया जाना

33—मूल अधिनियम की धारा 128 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात:—

निश्चित कर अवधि के लिए, धारा 73 के अधीन सृजित मांग से संबंधित ब्याज और या शास्ति या दोनों से छूट

"128क—(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहाँ कर से प्रभार्य व्यक्ति द्वारा कर की कोई रकम निम्न अनुसार देय है,—

(क) धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या धारा 73 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया विवरण, और जहां धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन कोई आदेश जारी नहीं किया गया है; या

(ख) धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है; या

(ग) धारा 107 की उपधारा (11) या धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश, और जहां धारा 113 की उपधारा (1) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है,

जो 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि, या उसके एक भाग से संबंधित है, और उक्त व्यक्ति खंड (क), खंड (ख) या खंड (ग), में उल्लिखित सूचना या विवरण या आदेश, जैसा भी मामला हो, के अनुसार देय कर की पूरी रकम का उस तारीख या उससे पहले, जैसा कि सरकार द्वारा परिषद की सिफारिश पर अधिसूचित किया जा सकता है, भुगतान करता है, तो धारा 50 के तहत ब्याज और इस अधिनियम के तहत शास्ति, देय नहीं होगा और सूचना या विवरण या आदेश, जैसा भी मामला हो, के संबंध में सभी कार्यवाहियों को ऐसी शर्तों के अधीन जैसा कि विहित किया जा सकता है, पूरा हुआ समझा जाएगा :

परंतु यह कि जहां धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी किया गया है, और समुचित अधिकारी द्वारा धारा 75 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुरूप अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में एक आदेश पारित किया गया है या पारित करना अपेक्षित है, उक्त सूचना या आदेश इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट एक सूचना या आदेश, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा,

परंतु यह और कि उन मामलों में जहां खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध या अपील प्राधिकारी या अपील अधिकरण या प्रथम परंतुक में निर्दिष्ट न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध, धारा 107 की उपधारा (3) के अधीन या धारा 112 की उपधारा (3) के अधीन एक आवेदन फाइल किया गया है या राज्य कर के एक अधिकारी द्वारा धारा 117 की उपधारा (1) या धारा 118 की उपधारा (1) के अंतर्गत अपील फाइल की गई है या जहां धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही शुरू की गई है, कार्यवाहियों का समापन इस शर्त के अधीन होगा कि, उक्त व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय या पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश, जैसा भी मामला हो, के अनुसार देय कर की अतिरिक्त रकम, यदि कोई हो, का भुगतान उक्त आदेश की तारीख से तीन महीने के भीतर करेगा:

परंतु यह भी कि जहां ऐसे ब्याज और शास्ति का पहले ही भुगतान किया जा चुका है, उसका कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात त्रुटिवश प्रतिदाय के कारण व्यक्ति द्वारा देय किसी भी रकम के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) में निहित कोई भी बात उन मामलों के संबंध में लागू नहीं होगी जहां उक्त व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपील या रिट याचिका, अपीलीय प्राधिकारी या अपील अधिकरण या न्यायालय, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित है, और उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित तिथि को या उससे पहले उक्त व्यक्ति द्वारा वापस नहीं लिया गया है।

(4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उपधारा (1) के तहत निर्दिष्ट किसी भी रकम का भुगतान किया गया है और उक्त उपधारा के तहत कार्यवाही समाप्त मानी गई है, उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट आदेश, जैसा भी मामला हो, के विरुद्ध धारा 107 की उपधारा (1) या धारा 112 की उपधारा (1) के तहत कोई अपील नहीं हो सकेगी।"

धारा 171 का संशोधन

34–मूल अधिनियम की धारा 171 में,–

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:–

परंतु यह कि सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, उस तारीख को निर्दिष्ट कर सकती है, जब से उक्त प्राधिकारी किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के परिणामत: उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में वास्तव में अनुरूप कमी हुई है या नहीं, के परीक्षण के लिए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।

'**स्पष्टीकरण**–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "परीक्षण के लिए अनुरोध" का अर्थ किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपभोग इनपुट कर प्रत्यय या कर दर में कमी के परिणामतः उसके द्वारा पूर्ति किए गए माल और सेवाओं या दोनों के मूल्यों में वास्तव में अनुरूप कमी हुई है या नहीं, के परीक्षण के अनुरोध हेतु आवेदक द्वारा फाइल किया गया लिखित आवेदन होगा।';

(ख) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किये गए स्पष्टीकरण 1 के पश्चात, स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात:–

'**स्पष्टीकरण 2**–इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "प्राधिकारी" पद में "अपील अधिकरण" सम्मिलित होगा।'।

अनुसूची III का संशोधन

35–मूल अधिनियम की अनुसूची III में, पैरा 8 के पश्चात् और स्पष्टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित पैरा बढ़ा दिये जाएंगे,अर्थात:–

"9–सह–बीमा समझौतों में बीमाकर्ता को लीड बीमाकर्ता और सह–बीमाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से पूर्ति की गई बीमा सेवाओं के लिए लीड बीमाकर्ता द्वारा सह–बीमाकर्ता को सह–बीमा प्रीमियम के प्रभाजन का क्रियाकलाप, इस शर्त के अधीन कि बीमाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम की पूर्ण रकम पर लीड बीमाकर्ता केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर का भुगतान करता है।

10–बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को दी जाने वाली सेवाएँ जिसके लिए बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को भुगतान किए गए पुनर्बीमा प्रीमियम से सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन काट लिया जाता है,इस शर्त के अधीन कि बीमाकर्ता द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को देय सकल पुनर्बीमा प्रीमियम, इसमें उक्त सीडिंग कमीशन या पुनर्बीमा कमीशन भी शामिल है, पर केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर और एकीकृत कर का भुगतान पुनर्बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है।"।

भुगतान किये गये कर प्रतिवर्तित किये गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय नहीं होना

36–भुगतान किए गए सभी कर या प्रतिवर्तित किए गए इनपुट कर प्रत्यय का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिनका इतना भुगतान नहीं किया गया होता, या प्रतिवर्तित नहीं किया गया होता, यदि इस संशोधन अधिनियम की धारा 6 सभी सारवान् समयों में प्रवृत्त होती।

निरसन और व्यावृत्ति

37–(1) उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2024

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा माल या सेवाएं या दोनों की अन्तर्राज्यीय पूर्ति पर कर के उदग्रहण तथा संग्रहण और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है), अधिनियमित किया गया है।

जीएसटी परिषद की सिफारिश पर, वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 2024 (अधिनियम संख्या 15 सन् 2024) द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 12 सन् 2017) में कतिपय संशोधन किए गए, जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया और इसे दिनांक 16 अगस्त, 2024 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।

उपर्युक्त के दृष्टिगत केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम में एकरूपता बनाये रखने के लिए राज्य स्तर पर केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किये गये संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित किये जाने हेतु तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 10 दिसम्बर, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2024) प्रख्यापित किया गया।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2024 पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।